(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 505–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–1–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 111/अपील/2013–14.

रामचन्द्र नायडू पुत्र श्री एम0एन0 नायडू
निवासी अनूपपुर तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1. मुस0 तुलसा देवी बेवा श्री प्रहलाद हलवाई
2. सुशीला पुत्री श्री प्रहलाद हलवाई
   दोनों निवासी अनूपपुर तहसील अनूपपुर
   जिला अनूपपुर म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री रजनी वशिष्ठ, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 07–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अनूपपुर की आराजी कं 36/7 ख रकवा 0.90 एकड़ भूमि का भूमिस्वामी उत्तरवादीगण हैं। उक्त रकबे के अंश भाग 0.265 है0 भूमि अधिगृहीत किया जा चुका है शेष भूमि पर

आवेदक द्वारा कब्जा करने पर अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत आवेदक द्वारा अनावेदकगण की 400 वर्गफीट भूमि पर कब्जा पाया। तहसीलदार अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 7/अ–70/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 31–5–2011 को आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। तहसीलदार अनूपपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–1–2012 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त शहडोल संभाग के समक्ष प्रस्तुत जिसमें अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 07–1–2016 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक ने अनावेदकगण के किसी अंशभाग में किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया है बल्कि अपने स्वामित्व की भुमि खसरा कमांक 164/4 पर ही बाउन्ड्रीवाल का निर्मा किया है। प्रश्नाधीन भूमि की स्पष्ट पहचान नक्शा तरमीम के बिना नहीं हो सकती है। फिर भी तहसील न्यायालय ने आवेदक के विरूद्ध बेदखल करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि खसरा कमांक 36 के पन्दह उपखण्डों में विभाजित है। 15 उपखण्डों को नक्शा में तरमीम नहीं किया गया है यदि तरमीम नहीं है तो कौन सा भूखण्ड नक्शे में कहा है यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अनावेदक कमांक तुलसा की भूमि जो अधिग्रहीत कर ली है शेष भूमि है उवाका नक्शा तरमीम नहीं हुआ है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि आवेदक द्वारा अपनी आरजी पर बाउन्ड्री निर्माण प्रारंभ करने पर अनावेदकगण ने संबंधित न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसपर थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसपर हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

गया था कि आवेदक रामचन्द्र अपने पट्टे एवं कब्जे की दखल रहित आराजी खसर कं0 16/4 पर निर्माण कार्य कर रहा है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदकगण के नाम आराजी खसरा नंबर 36/7ख रकवा 0.365 है भूमिस्वामी थी जिसमें से 0.265 है0 भूमि अधिगृहीत की गबई है शेष 0.10 हे0 भूमि शेष बची थी जिसे पूर्व में अंश रकवा 400 वर्गफीट पर आवेदक द्वारा कब्जा किया जिसपर बेदखली करने बावत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने विधिवित जांच उपरांत आदेश पारित आवेदक को बेदखल किया है। तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है। यह भी तर्क किया तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतर्वी निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदगण ने अपने स्वत्व की भूमि पर आवेदक द्वारा कब्जा करने के कारण संहिता की धारा 250 का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने विधिवत प्रकरण दर्ज कर आवेदक को नोटिस जारी किया गया। आवेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित रहा तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार ने विधिवत राजस्व निरीक्षक पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया है तथा साक्षियों के कथन अंकित कराये गये। प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथन में अवैध कब्जा होने की पुष्टि हुई है। इसी के आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–5–2011 को आवेदक के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये। तहसीलदार द्वारा विस्तार से आदेश पारित कर अनावेदकों के आवेदन को स्वीकार किया है। तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 2002 आर एन 334 चंद्र प्रकाश तथा एक अन्य विरूद्ध माधव दत्त तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''(2) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 50– निचले दो न्यायालया द्वारा एक ही निष्कर्ष अभिलिखित – तथ्य तथा विधि के उपबंधों का मूल्यांकन करने के पश्चात सकारण आदेश पारित – पुनरीक्षण न्यायालय को ऐसे सकारण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।''

स्पष्ट है कि निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत बडी विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता प्रकट न कर दी गई हो। जहां तक आवेदक उठाये तर्कों का प्रश्न है आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तार से आदेश पारित कर निराकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के दिनांक 28–2–2017 को जारी स्थगन प्रस्तुत करने का प्रश्न है, उक्त आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त स्थगन आदेश मात्र 03–4–2017 तक निरंतर रखा गया था। आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में संचालित उक्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में कोई दस्तावेजा पेश नहीं किये हैं और न ही अपने तर्क में मान0 उच्च न्यायालय से स्थगन को आगे निरंतर रखने संबंधी स्पष्टीकरण दिया है। दर्शित परिस्थितियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर